**राज्यपाल सचिवालय, बिहार**
**(जन–सम्पर्क शाखा)**
**राजभवन, पटना–800022**

ई–मेल–**pr.rajbhavan@gmail.com**
**prrajbhavanbihar@gmail.com**
मोबाईल–9431283596


## प्रेस–विज्ञप्ति

# राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त नहीं होने के बावजूद एडमिशन लेनेवाले कॉलेजों के विरूद्ध कार्रवाई का राज्यपाल ने दिया निदेश

**पटना, 04 जून** 2019

महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन के निदेशानुरूप आज राजभवन सभागार में विश्वविद्यालयीय गतिविधियों की समीक्षा हेतु एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा तथा बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा–नियंत्रकों ने भाग लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव–सह–अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग श्री आर॰के॰ महाजन ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र–हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल एवं राज्य सरकार दोनों यह चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में छात्रों की समस्याओं की अनदेखी नहीं हो।

प्रधान सचिव श्री महाजन ने कहा कि महामहिम राज्यपाल चाहते हैं कि 'एकेडमिक एवं परीक्षा–कैलेण्डर' का अनुपालन करते हुए हर हालत में परीक्षाएँ ससमय आयोजित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षाफल का प्रकाशन करते हुए डिग्री–वितरण का कार्य भी 'दीक्षांत–समारोहों' के माध्यम से समय पर होना चाहिए। प्रधान सचिव ने कहा कि ऑन–लाईन आवेदन के जरिये प्रमाण–पत्रों के वितरण का काम भी इस महीने से सभी विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो जाना चाहिए।

समीक्षा के क्रम में राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री महाजन ने कहा कि राज्य सरकार ने मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा एवं बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अधीन वैसे विद्यार्थी, जिन्होंने राज्य में सम्बद्धताविहीन महाविद्यालयों में नामांकन कराकर अपनी शिक्षा शुरू कर दी है, उनके भविष्य पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए कुछ ठोस निर्णय लिया है एवं इस संदर्भ में संबंधित कुलपतियों को कल 03 जून को ही परिपत्र भेज दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस परिपत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री महाजन ने कहा कि ऐसे सम्बद्धताविहीन महाविद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया गया है कि उनके शैक्षणिक सत्र की शेष अवधि के लिए सर्वप्रथम निकटस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में उनके नामांकन एवं अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाये।

**शेष पृष्ठ...2 पर**

उन्होंने कहा कि निकटस्थ अंगीभूत महाविद्यालय (Constituent Colleges) में नामांकन नहीं हो पाने की स्थिति में उन विद्यार्थियों का राज्य सरकार से सम्बद्धता–प्राप्त निकट के महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र की शेष अवधि के लिए नामांकन कराते हुए अध्ययन की सुविधा प्रदान की जायेगी। श्री महाजन ने कहा कि अंगीभूत एवं सम्बद्धता–प्राप्त महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना एवं अन्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार दो पालियों में अध्यापन की सुविधा मुहैय्या करायी जायेगी। वैसे विद्यार्थी जिनके शैक्षणिक सत्र का अध्यापन पूर्ण हो चुका है, का पंजीयन कराने, परीक्षा–प्रपत्र प्राप्त करने और भरने तथा परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संगत आदेश या निदेश में यथाआवश्यक संशोधन कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। राज्य सरकार द्वार सम्बद्धता–प्राप्त महाविद्यालयों में अथवा अंगीभूत महाविद्यालयों में पुनर्नामांकन के क्रम में नामांकन शुल्क राज्य सरकार द्वारा देय होगा, परन्तु छात्रों को शिक्षण एवं परीक्षा–शुल्क स्वयं वहन करना होगा। राज्यपाल के प्रधान सचिव–सह–अपर मुख्य सचिव (शिक्षा) श्री महाजन ने कहा कि छात्रों के भविष्य और व्यापक हित में लिया गया यह निर्णय भविष्य के लिए पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

श्री महाजन ने कहा कि विद्यार्थियों के व्यापक हित में निर्णय लेते हुए हमने यह भी निश्चय किया है कि राज्य सरकार की बिना सम्बद्धता के नामांकन लेनेवाले महाविद्यालयों के खिलाफ अपराधिक मामले भी दर्ज कराये जाएँगे और विश्वविद्यालय या संबंधित महाविद्यालय के जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी इस प्रकरण में दोषी पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध राज्यपाल सचिवालय द्वार सख्त कार्रवाई हेतु आवश्यक निदेश प्रदान किया जायेगा।

बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव ने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने इस बार यह पूरी तरह सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि सम्बद्धताविहीन महाविद्यालय किसी भी तरह विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित कर अपने यहाँ नामांकन नहीं ले पायें। उन्होंने कहा कि सभी कुलपति अपने विश्वविद्यालय के वेबसाइटों पर अपने अंगीभूत एवं संबद्धता–प्राप्त महाविद्यालयों एवं वहाँ पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें। प्रधान सचिव श्री महाजन ने कहा कि जिन महाविद्यालयों को राज्य सरकार ने सम्बद्धता प्रदान नहीं की है, उनमें हर हालत में ताले लगने चाहिए और विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करनेवाले सम्बद्धताविहीन महाविद्यालयों के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कुलपतियों द्वारा होनी चाहिए। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने कहा कि सम्बद्धताविहीन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के भविष्य और व्यापक हितों के ध्यान में रखते हुए जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, उसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आज की समीक्षा–बैठक में शिक्षा विभाग के सभी वरीय अधिकारी, संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, कुलसचिवगण, परीक्षा नियंत्रकगण एवं राज्यपाल सचिवालय के सभी वरीय अधिकारीगण आदि भी उपस्थित थे।

.....